बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं०–01–स्था० क्षे० 313/2015– / पटना, दिनांक– दिसम्बर, 2024

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली–2016'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** – (i) नियमावली ''गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) संशोधन नियमावली–2024 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016 के नियम–9 का संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–9 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है–

''**9, सम्पुष्टि।**– सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीणता प्राप्त करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सम्पुष्ट की जा सकेगी।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(बी कार्तिकेय धनजी)

सचिव।

ज्ञापांक–01 स्था० क्षे० 313/2015– /पटना, दिनांक– दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव।

ज्ञापांक–01 स्था० क्षे० 313/2015–   /पटना, दिनांक–   दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव।

ज्ञापांक–01 स्था० क्षे० 313/2015–   /पटना, दिनांक–   दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3/एम०41/2022 सा०प्र०–6591 दिनांक–06.04.2023 के आलोक में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव।

ज्ञापांक–01 स्था० क्षे० 313/2015–   /पटना, दिनांक–   दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी ईख पदाधिकारी एवं विशेष ईख पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव।

ज्ञापांक–01 स्था० क्षे० 313/2015– 06 /पटना, दिनांक– 01 जन० ~~दिसम्बर~~, 2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव।